

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई, 2026

क्रमांक एफ 1/13/0020/2026/18-5:- मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा के निम्नलिखित सहायक यंत्री (सिविल) को आगामी आदेश तक कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर वेतनमान लेवल-13 रुपये 67300-206900 में पदोन्नत करते हुए वर्तमान पदस्थापना स्थल पर यथावत पदस्थ किया जाता है:-

अनु.क्र.	अधिकारी का नाम
1.	श्री निशात अजीम खान
2.	श्री संजय खरे
3.	श्री अरविन्द मण्डराय

- 2/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।
- 3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा किये गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।
- 4/ जिन पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर शेष शासकीय सेवकों को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के नियम-13 के अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
- 5/ उक्त पदोन्नति दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नत लोक सेवकों की वरिष्ठता दिनांक 31.12.2025 से निर्धारित की जायेगी।

6/ उपरोक्त समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किए जाने वाले आदेशों के अध्यधीन होंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


20.7.26

(प्रमोद कुमार शुक्ला)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

क्रमांक एफ 1/13/0020/2026/18-5, भोपाल, दिनांक 20 जुलाई, 2026
प्रतिलिपि - निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल।
5. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण
6. संबंधित शासकीय सेवक की ओर पालनार्थ।



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग